उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या- 14/2017/सीपी 103/84-2-2017-सीपी 2/2014

लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

श्री राधेश्याम सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (से0नि0), एस 9/472, नई बस्ती, पाण्डेपुर, वाराणसी को जिला उपभोक्ता फोरम, मथुरा में अध्यक्ष, पूर्णकालिक के पद पर अधिसूचना संख्या-67/सीपी 1064/84-2-2014-सीपी 2/2014, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा नियुक्त किया गया था। कालान्तर में कार्यालय ज्ञाप संख्या-31/2015/सीपी 660/84-2-2015-सीपी 2/2009, दिनांक 30.10.2015 द्वारा उक्त श्री राधेश्याम सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम का स्थानान्तरण जिला उपभोक्ता फोरम, मथुरा से जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर किया गया।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-10402/एससीडीआरसी/अधि 53/14, दिनांक 09 फरवरी, 2017 में अवगत कराया गया कि श्री राधेश्याम सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर ने अपने पत्र दिनांक 02 फरवरी, 2017 द्वारा अनुरोध किया गया है कि शासन की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2017 द्वारा उन्हें राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में उपाध्यक्ष (न्यायिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया गया है। अत: इस कारण उक्त श्री सिंह ने दिनांक 09 फरवरी, 2017 की अपरान्ह से जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र स्वीकार किये जाने की अपेक्षा की है।

3 अत: निबंधक, राज्य आयोग ने श्री राधेश्याम सिंह, अध्यक्ष, जिला फोरम, गौतमबुद्धनगर का त्यागपत्र दिनांक 09 फरवरी, 2017 की अपरान्ह से स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4. अस्तु श्री राज्यपाल निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर के अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद से श्री राधेश्याम सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (से0नि0), एस 9/472, नई बस्ती, पाण्डेपुर, वाराणसी द्वारा दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 09 फरवरी, 2017 के अपरान्ह से स्वीकार करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, विक्रान्तखण्ड-1,गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर ।
(3) कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर ।
(4) कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री राधेश्याम सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (से0नि0), एस 9/472, नई बस्ती, पाण्डेपुर, वाराणसी।
(6) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।